UPVR010073612026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2603/2026

प्रिंस यादव पुत्र दीना यादव, निवासी चंगवार, अनेई, थाना बड़ागॉव, जिला वाराणसी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य **.....अभियोजक।**

मुकदमा अपराध संख्या–173/2026
धारा–103(1),352,351(3),3(5) बी0एन0एस0
थाना–फूलपुर, जिला–वाराणसी।

30–07–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त **प्रिंस यादव** की ओर से उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत हेतु उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र न ही किसी अन्य न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय में लंबित है और न ही निस्तारित है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा ललित मोहन यादव के द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 06.06.2026 को समय लगभग 3 बजे दिन में गांव के सुनील गुप्ता उसके घर आये और उसके पिता ओम प्रकाश यादव उर्फ भोथू को आवश्यक कार्य बताकर उसके पंपिंग सेट पर ले गये। पंपिंग सेट पर पहुंचने के 10 मिनट बाद अनिस यादव, धर्मराज यादव, सत्यनरायण यादव, नन्हे लाल यादव तथा 8–10 अज्ञात व्यक्तियों के साथ अवैध असलहा, लाठी डंडा, राड व धारदार हथियार लेकर उसके पंपिंग सेट पर चढ आये और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए धर्मराज, सत्यनरायण व नन्हे लाल ललकारते हुए कहे कि इसे जान से मारकर खत्म कर दो। जिस पर अवैध असलहे से लैस अनिस यादव ने उसके पिता को लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से गोली मारी। जान बचाने के लिए उसके पिता ने भागने का प्रयास किया तो उपरोक्त सभी विपक्षीगण दौड़ाकर उसके पिता को बुरी तरह लाठी डंडा से मारे पीटे। शोर सुनकर सूरज पटेल, गौतम पटेल व रवि पटेल ने बीच बचाव किया तथा घटना को अपनी आंखो से देखा। वादी व उसके परिवार वाले उसके पिता को अस्पताल ले गये जहां चिकित्सकों ने दौरान इलाज उसके पिता को मृत घोषित कर दिया।

4– उपरोक्त घटना के आधार पर अभियुक्त अनिस यादव व 3 अन्य व 1 अज्ञात के विरूद्ध धारा 103(1), 352, 351(3), 3(5) बी.एन.एस. में अभियोग पंजीकृत कराया गया। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। विवेचना के अनुक्रम में मृतक भोथू का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक उपरोक्त के शरीर पर निम्न

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.07.30 17:46:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चोटें आना अंकित हैः–

Injury details:-

1) Lacerated wound of size 3.5cm x 0.5cm x bone deep present over right side parietal area, 3cm lateral to midline and 11cm above the right ear pinna.

2) Reddish color abrasion present over glabella of size 4cm x 4cm.

3) Multiple reddish abrasion present over lateral side of left arm over and area 8cm x 4cm, with upper border 10.5cm below the tip of shoulder with size ranging from 0.2cm x 0.2cm to 2cm x 0.5cm.

4) Bluish contusion of size 13cm x 9cm present over lateral aspect of left arm, with lower border touching to left elbow joint.

5) Multiple parallel contusion of varying length ranging from 6 cm-13 cm present over back side of body and back side of legs, with multiple intervening lengths (1.5 cm, 2 cm and 1.7 cm), suggestive of tram track appearances of multiple patterns.

6) Lacerated wound of size 3.5 cm x 1.2 cm x muscle deep present over anterior aspect of left leg 10 cm below left knee joint and 21 cm above left ankle, with dark colored margins, with underline compound fracture of tibia and fibula congested surrounding tissue and muscles. No foreign body particle recovered from the injured area.

7) Lacerated wound of size 3 cm x 2 cm x bone deep present over anterior aspect of left leg, 18 cm below the left knee joint and 13 cm above left ankle joint with underlying spiral fracture of tibia and fibula and blood clots seen underlying the injury.

8) Reddish abrasion of size 3 cm x 2 cm present over lateral aspect of left leg, 5 cm above the left ankle joint.

9) Avulsion injury of size 3 cm and all around present over 5th toe of left leg upto 3 cm above the tip of 5th toe.

10) Lacerated wound of size 2 cm x 0.2 cm x muscle deep present over anterior aspect of right leg, 11 cm below the right knee joint and 25.5 cm above the right ankle joint.

11) Lacerated wound of size 3 cm x 0.5 cm x bone deep present over anterior aspect of right leg, 19.5 cm below right knee joint and 16.5 cm above right ankle joint.

12) Reddish abrasion of size 3 cm x 2.5 cm present over lateral aspect of right leg, 4 cm above right ankle joint.

13) Lacerated wound of size 2 cm x 0.1 cm x bone deep present over medial aspect of right foot, at the base of right 1st toe.

चिकित्सक की राय में मृतक की मृत्यु का कारण ***Hemorrhagic shock consequent to multiple fractures of long bone as a result of blunt force trauma.*** उल्लिखित है।

5– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही है और न ही उपरोक्त घटना से उसका कोई संबंध है। प्रार्थी/अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नही था और न ही मृतक से कोई लेन–देन रहा है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को पुरानी रंजिश होने के कारण उपरोक्त मुकदमें में फसाने की कोशिश की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त घटना के पूर्व ही अपने काम से मुम्बई चला गया था। उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उपरोक्त मुकदमें में पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

6– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पिता को जान से मारने की नियत से

लाठी–डंडे व असलहे से गंभीर चोटें पहुंचायी गयी, जिससे दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गयी। केस डायरी के पर्चा संख्या 1 में वादी ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। सी0डी0आर0 में प्रार्थी/अभियुक्त का लोकेशन घटनास्थल पर पाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

7– मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

8– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रिंस यादव** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 30–07–2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
J.O. Code-UP1900

Steno-Gaurav Maurya